न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी

न्याय आपके द्वार 2017 कोर्ट कैम्प मौजवास

मु०न० 27/17

निर्णय दिनांक 15/5/17

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार बनाम ज्यारसीलाल वगै०

(प्रापज धारा 131 LR Act)

पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2017 केम्प कोर्ट मौजवास मे पेश हुई। तहसीलदार फागी द्वारा ग्राम कौस्या के ख०न० 480/3 रकबा 0.02 बीघा भूमि को अपीलीगण द्वारा विभाजन पत्र में आपसी सहमति से शामलाती रास्ता हेतु रखा है। जो तदानुसार जमाबंदी मे दर्ज किई है।

तहसीलदार फागी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व नकशा प्रति के अवलोकन के बाद प्रापज 131 LR Act स्वीकार किया जाकर ख.न. 480/3 रकबा 0.02 बीघा भूमि ग्राम कौस्या त० फागी को ऊँ० मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश किये जाते है। अत भूमि शामलाती खातेदारी में पूर्ववत दर्ज रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार फागी कोर्टिफाई मे अमल दरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।